

(b) the number of families which have been rehabilitated in different places so far; and

(c) the number of families which are yet to be rehabilitated?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan): (a) Repatriation of Indians from Ceylon under the Indo-Ceylon Agreement, 1964 has not yet commenced.

(b) and (c). Do not arise.

हरिद्वार में पाकिस्तानी राष्ट्रजनों की गिरफ्तारी

2159. श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री विश्वाम प्रसाद :

क्या गृह-कार्य मंत्री 31 अगस्त, 1966 के अतारंकित प्रश्न संख्या 3737 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरिद्वार में गिरफ्तार किये गये पाकिस्तानी राष्ट्रजन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लगे हुये थे;

(ख) क्या इस बारे में जांच पूरी हो गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो उनका व्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). जिस पाकिस्तानी राष्ट्रजन का 31 अगस्त 1966 को पृष्ठ गये अतारंकित प्रश्न संख्या 3737 के उत्तर में उल्लेख किया गया था उसे भारतीय पार-पत्र अधिनियम के अन्तर्गत तीन महीने की कड़ी कैद का दंड दिया गया था और वह 30 नवम्बर, 1966 को छूटने वाला है । जांच और अनुसंधान करने पर उस के विरुद्ध किसी राष्ट्र विरोधी गतिविधि में लगे होने का अपराध सिद्ध नहीं हुआ ।

राजपत्र में नियमों तथा आदेशों का प्रकाशन

2160. श्री विश्वाम प्रसाद : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के राजपत्र में नियमों तथा आदेशों को हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित करने की व्यवस्था है; और यदि हाँ, तो इस व्यवस्था का व्यौरा क्या है और यह व्यवस्था कब तो की गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). 26 जनवरी 1966 से अपरिनियत प्रकृति के नियमों तथा आदेशों का भारत के राजपत्र में हिन्दी में भी प्रकाशित करने के लिये व्यवस्था की गई है । परिनियत नियमों व आदेशों का हिन्दी में प्रकाशन, राज-भाषा, (विधायी) आयोग द्वारा केन्द्रीय अधिनियमों का हिन्दी अनुवाद कर लेने के पश्चात् प्रारम्भ होगा ।

शिक्षा मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग

2161. श्री विश्वाम प्रसाद :
श्री काशीराम गुप्त :
श्री नरदेव स्नातक :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री छ० म० केवरिया :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन के मंत्रालय में कितने कर्म-चारियों को गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा चलाई गई हिन्दी प्रशिक्षण कक्षाओं में प्रशिक्षण दिये जाने के पश्चात् अपना सरकारी कार्य हिन्दी में करने के लिये कहा गया ;

(ख) क्या ऐसे कर्मचारियों को पुन-स्वर्षा पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण देने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ; और